ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड, विकास खंड राजगढ़, ज़िला सिरमौर के लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 1.04.2013 से 31.03.2016

भाग-एक

1 प्रस्तावना

(क) ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि o प्र० को सौंपे जाने के दृष्टिगत , ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड विकास खंड राजगढ़ ज़िला सिरमौर के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/ सचिव कार्यरत थे :-

प्रधान

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्रीमति शकुंतला	1.04.2013 से 22.01.2016
2	श्री सचिन मेहता	23.01.2016 से लगातार

सचिव

क्रम सं0	नाम	अवधि
1	श्री पवन कुमार	1.04.2013 से 7.09.2013
2	श्री विरेन्द्र कुमार	8.09.2013 से लगातार

(ख) गंभीर अनियमितताओं का सार :- ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम सं0	पैरा सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1	7	निर्धारित समयावधि में अनुदान राशि का उपयोग न करना	3.24
	8	प्रावधिक औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही स्टॉकस्टोर	9.65
2		वस्तुओं का क्रय करना	
3	9	जेसीबी चार्जीस का अनियमित भुगतान	0.49
4	10	सीमेंट उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना	1.35
5	12	पंचायत वित्त नियम 17 (2) की अवहेलना कर नकद राशि का भुगतान बिना पावती प्राप्त किए करना	6.56

6	13	नियंत्रक स्टोर (सामान) द्वारा खेल सामग्री का क्रय अनुमोदित दरों पर न करना	0.50
7	16	बिना मूल्यांकन/ सत्यापन के मस्टरोल राशि का भुगतान करना	1.04

भाग -दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री अमर दत्त , अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 8/07/2016 से 14/07/2016 तक ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए क्रमशः माह 09/2013, 01/2015, 4/2015 तथा माह 02/2014, 5/2014, 4/2015 का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण /गलत व उपलब्ध न होने की स्तिथि मे अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि०प्र० उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड , विकास खण्ड राजगढ़ , ज़िला सिरमौर के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क रु 5000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की रु 5000/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सख्या: जीपीऑडिट/ एसएलएन/ एसएमआर/2016-17-11 दिनांक 12/07/2016 द्वारा सचिव, पंचायत ठौड़ निवाड से अनुरोध किया गया। तदानुसार सचिव, पंचायत ठौड़ निवाड के पत्र स0 जीपी ठौड़ निवाड /2016-17/06-2016 दिनांक 19/07/2016 द्वारा अंकेक्षण शुल्क की राशि को हि0० प्र०0 सहकारी बैंक सिमित, राजगढ़ के बैंक ड्राफ्ट

संख्या:399483 दिनांक 19/07/2016 के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि० प्र० शिमला-171009 को प्रेषित किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी:-

(i क) स्व स्त्रोत :- ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के स्व स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति का विवरण:-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	---------	138737	138737	153360	-14623
2014-15	-14623	160123	145500	158971	-13471
2015-16	-13471	202259	188788	156875	31913

नोट:- ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय-व्यय को भी सामान्य निधि खाता संख्या 56310100044 में ही जमा करवाया गया है तथा स्वयं के स्त्रोत का अलग से खाता न होने के कारण इसका प्रारंभिक शेष ज्ञात नहीं किया जा सका है , जिस कारण वर्ष 2013-14 व 2014-15 में अंतिम शेष ऋणात्मक पाया गया है । हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार स्वयं के स्त्रोत की आय को पृथक से खाता खोलकर खाता "A " में रखे जाने का प्रावधान है। अतः स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय व व्यय को पृथक से खाता खोलकर उसमे आय को जमा किया जाना व उसी खाते से व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये !

(ii ख) अनुदान :- ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड की अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 की अनुदानों की वितीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न "परिशिष्ट -1" मे भी दिया गया है।

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अंतिम शेष
2013-14	386299.34	5254215	5640514.34	5168250	472264.34
2014-15	472264.34	2806050	3278314.34	2947090	331224.34
2015-16	331224.34	1541360	1872584.34	1548395	324189.34

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करना

जांच मे पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था , जबकि हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म , कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य था। इस प्रकार पंचायत द्वारा रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान न करना नियमो के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे मे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 मे पंचायत का आय व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा मे पारित करवाना अपेक्षित था , जोकि नहीं करवाया गया। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुऐ भविष्य मे नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

7 अनुदान कि रु 3.24 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों की उपलब्ध कारवाई गई सूचना(परिशिष्ट-1) के अनुसार दिनांक 31/03/2016 तक अनुदानों से प्राप्त रु 3 ,24,189 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त के अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था , जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त कर के उक्त राशि को व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये।

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही रु 9.65 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) के अंतर्गत स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधिक है, जिसके अनुसार रु 1000/- से अधिक के व रु 50 ,000/- से कम के क्रय हेतु कोटेशन आमंत्रित की जानी तथा रु 50,000/- से अधिक राशि के क्रय हेतु टेंडर आमंत्रित किए जाने के बाद ही क्रय किए जाने का प्रावधान है , ताकि ग्राम

पंचायत को प्रतियोगी मूल्यों का लाभ प्राप्त होकर , न्यूनतम बाजारी मूल्यों पर एच्छिक वस्तुओं की प्राप्ति हो सके, इसके अतिरिक्त नियम 3(ए) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा प्रधान, उप प्रधान , ग्राम पंचायत द्वारा नामित दो वार्ड मेम्बर्स तथा सचिव को सम्मिलित करके एक उप समिति का गठन करके समिति द्वारा कोटेशने/टेंडर आमंत्रित करने के उपरान्त ही क्रय किए जाने का प्रावधान है , परंतु ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी प्रकार के क्रय हेतु न तो उप समिति का गठन किया गया और न ही कोई कोटेशने/टेंडर प्राप्त किए जो कि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तीजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी कि स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये। उक्त नियमों की अवहेलना कर के पंचायत द्वारा रु 9,65,177/- (रु 2,64,101/- के स्टोर/स्टॉक का सामान बिना कोटेशन तथा रु 7,01,076/- के स्टोर/स्टॉक का सामान बिना टेंडर) के स्टोर/स्टॉक का क्रय उक्त औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया है , जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-2 A व 2B मे दिया गया है।

9 जेसीबी चार्जीस के रूप में रु 0.49 लाख का अनियमित भुगतान करना

ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा जेसीबी मशीन को रु800/- प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर रु 48,500/- का भुगतान बिना कोटेश ने/टेंडर प्राप्त किये किया गया है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 67 के अंतर्गत प्रावधित नियमों के अनुसार रु 1000/- से अधिक का भुगतान/करने के लिये निविदाएँ आमंत्रित की जानी अनिवार्य हैA इस प्रकार जेसीबी मशीन को प्रति घंटे के आधार पर किराए पर लगाने से पूर्व नियम 67(3) के अंतर्गत समिति का गठन व नियम 67(5) के अंतर्गत निर्धारित विधि द्वारा टेंडर आमंत्रित कि ए जा ने अनिवार्य थे, जिसकी अनुपालना किये बिना ही जेसीबी मशीन को विभिन्न कार्यों हेतु उपयोग में लाया गया हैA। इसके अतिरिक्त जेसीबी मशीन से करवाए गए कार्य को न तो कनिष्ट अभियंता द्वारा माप पुस्तिका में और न ही किसी अन्य पंजिका में प्रविष्ट किया गया है , जिसकी अनुपस्तिथि में जेसीबी चार्जिस का किया गया भुगतान उचित व तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है , जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा भविष्य में इस प्रकार के कार्यों के भुगतान को कनिष्ट अभियंता से सत्यापित करवाकर एवं माप पुस्तिका में प्रविष्टि करके तथा माप पुस्तिका संख्या व पृष्ट संख्या का विवरण सम्बंधित बिलों पर देने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना

सुनिश्चित किया जाए तथा निम्न वर्णित बिलों /भुगतानों की सम्बंधित माप पुस्तिका व अन्य पंजिकाओ में प्रविष्टि कर के इस अंकेक्षण के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाएA।

मै० वाई पी ग्रुप, नाहन रोड राजगढ़ को जेसीबी चार्जिस के भुगतान का विवरण

क्र0 सं0	विवरण	बिल संख्या /दिनांक	दर प्रति घंटा	कार्य के घंटे	कुल भुगतान	कार्य का नाम
1	जेसीबी चर्जिस का भुगतान मै० वाई पी ग्रुप,नाहन रोड राजगढ़	सफेद सादे कागज पर रसीद 26 /02/14	800/-	40.00	32,000/-	ठौड़ से बोरियाँ तक संपर्क मार्ग का निर्माण
2	---यथोपरी--	सफेद सादे कागज पर रसीद 24/06/14	800/-	21.00	16,500/-	ठौड़ से बोरियाँ तक संपर्क मार्ग का निर्माण

कुल राशि 48,500/-

उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा मै०0 वाई पी ग्रुप, नाहन रोड राजगढ़ को जेसीबी चार्जिस के भुगतान हेतु उचित बिल प्राप्त न करके मात्र सादे कागज पर ही बिल प्राप्त कर के उक्त विवरणानुसार रु 48,500/- का भुगतान बिना किसी संवैधानिक कटौती किये ही कर दिया गया है , जबकि नियमानुसार सम्बंधित ठेकेदार से निम्न संवैधानिक कटौतियां की जानी वांछित थी।A

आयकर 2%, सेल्स टैक्स 3%, प्रतिभूति राशि 10%, लेबर सेस 1%

अतः उपरोक्त कटौतियों को सम्बंधित बिल से न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार सभी संवैधानिक कटौतीयां करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाएA।

10 पंचायत द्वारा जारी किए गये रु 1.35 लाख के 630 बैग सीमेंट के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना

ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड द्वारा माह 2/2014 में प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना (PMAGY) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के विभिन्न निर्वाचित/नामित पदाधिकारियो को परिशिष्ट -3 में दिए गए विवरणानुसार 630 बैग सीमेंट ग्राम पंचायत द्वारा किये गए भिन्न- भिन्न निर्माण कार्यों हेतु जारी किये गए है , परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा न तो निर्माण कार्यों में हेतु जारी सीमेंट और अन्य सामग्री अर्थात रेत ,बजरी इत्यादि की स्टोर/स्टॉक प्रविष्टि की गई है और न ही इन कार्यों का मूल्यांकन किसी तकनिकी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा करने के उपरांत किये गए कार्य रु 1,35 ,450/-के उपयोगिता

प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय को प्रस्तुत कि ए गए, जिसकी अनुपस्तिथि में निर्माण कार्य हेतु जारी व उपयोग में लाई गई सामग्री की सही जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। अतः ग्राम पंचायत के विभिन्न पदाधिकारियों को जारी सीमेंट व अन्य सामग्री तथा तथा उनके द्वारा करवाए गए निर्माण कार्य का मूल्यांकन कर के शेष बची सामग्री का मूल्य वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को एक साथ ही अत्यधिक मात्रा सीमेट जारी करना जैसा परिशिष्ट-3 के अनुसार पंचायत द्वारा श्री विकास ठाकुर, उप प्रधान को दिनांक 20/2/2014 को सीमेंट के 399 (300+59+40) बैग जारी किए गए है, जो कि किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अतः भविष्य में सीमेंट का भण्डारण पंचायत द्वारा किया जाये तथा आवश्यकतानुसार ही सीमेंट व अन्य निर्माण सामग्री जारी की जानी सुनिश्चित की जाये।

11 शौचालय के निर्माण पर रु 0.08 लाख का अधिक भुगतान करना

ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड द्वारा माह 2/2014 में राजकीय माध्यमिक पाठशाला ठौड़, राजकीय प्राथमिक पाठशाला ठौड़ निवाड व राजकीय प्राथमिक पाठशाला रेडी गुसान के लिए रु 50-50 हजार से प्रत्येक पाठशाला में शौचालय का निर्माण किया गया। शौचालय निर्माण हेतु तकनिकी सहायक द्वारा प्रत्येक शौचालय हेतु 30-30 बैग सीमेंट व 3.40cum रेत का अनुमान दिया गया था , जबकि वास्तव में तकनीकी सहायक द्वारा प्रत्येक शौचालय हेतु 26 बैग सीमेंट व 2.35 cum रेत का मूल्यांकन किया गया , जिसका विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट- 4 में दिया गया है , जिससे स्पष्ट होता है कि प्रत्येक शौचालय के निर्माण में वास्तविक मूल्यांकित सामग्री से अधिक सामग्री का उपभोग दर्शाया गया है, जिस कारण ग्राम पंचायत को रु 8092.5/- की वित्तिय क्षति हुई है , जिस बारे उचित जांच कर के रु8092.5/-(2697.50x3) की वसूली सम्बंधित पदाधिकारी से की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

12 पंचायत वित्त नियम 17 (2) की अवहेलना कर रु 6.56 लाख का नकद भुगतान बिना पावती प्राप्त किए करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 17(2)में किये गए प्रावधान के अनुसार रु 1000/- से अधिक का भूगतान मात्र चैक से ही किये जाने का प्रावधान है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा उक्त प्रावधानों की अनुपालना न करके देय राशि का भुगतान चैक से न करके नकद रूप से किया गया है , जिसका विवरण "परिशिष्ट-5" दिया गया है , जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्राम पंचायत द्वारा रु6 ,56,466/- का भुगतान चैकों द्वारा आहरित करके विभिन्न पक्षों/आपूर्तिकर्ताओं को नकद रूप से भुगतान किया गया है तथा उनसे भुगतान की रसीद/पावती भी प्राप्त नहीं की गई है जिससे की पंचायत निधि के दुरूपयोग/गबन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।

अतः देय राशि के इस प्रकार से भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ-साथ "परिशिष्ट-5" में वर्णित सभी पक्षों/आपूर्तिकर्ताओं से रसीद/ पावती प्राप्त कर के अनुपालना आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत की जानी सुनिश्चित की जाए तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियमों के अनुसार ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

13 नियंत्रक स्टोर (सामान) द्वारा अनुमोदित दरों रु 0.50 लाख की खेल सामग्री का क्रय न करना

प्रधान सचिव पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या HCH-HA(1)2/2008-51-209 दिनांक 5/04/2013 द्वारा ग्राम पंचायतों को 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत रु 50,000/- की स्वीकृति व्यायामशाला के लिए सामग्री/उपकरणों जो क्रीडा (खेल) गतिविधियों से जुड़े हो, में प्रयोग करने हेतु इस शर्त पर चिन्हित की गई थी, की सम्बंधित ग्राम पंचायतें खेल से सम्बंधित गतिविधियों के लिए क्रय किये जाने वाले सामान को नियंत्रक स्टोर(सामान), उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों के अनुसार ही क्रय करेगी। ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड द्वारा क्रय की गई खेल सामग्री के बिलों की जाँच पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राजकीय माध्यमिक पाठशाला व राजकीय प्राथमिक पाठशाला ठौड़ निवाड के लिए खेल की सामग्री का क्रय उपरोक्त निर्धारित शर्तों के अनुसार न करके मै० जालंधर स्पोर्ट्स, लक्कड़ बाज़ार सोलन से बिल संख्या 1789 दिनांक 1/1/2014 के अंतर्गत रु 50,000/- में क्रय किया गया है , जबकि सभी प्रकार की खेल सामग्री के क्रय हेतु नियंत्रक स्टोर(सामान), उद्योग विभाग,हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या Ind./SP (misc)F(6-10)4/80-111 दिनांक 24/10/2013 द्वारा दरें निर्धारित कर रखी थी । अतः सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर खेल सामग्री का क्रय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा क्रय की गई खेल सामग्री के मूल्य का सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से मिलान कर के अनुमोदित दरों से अधिक भुगतान की राशि को सम्बंधित पदाधिकारी से वसूल किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर ही क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

14 क्रय की गई खेल सामग्री (बैड मिंटन रैक्ट) में 2 रैक्टों की स्टोर/स्टॉक में प्रविष्टियाँ न करना

ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड द्वारा राजकीय माध्यमिक व प्राथमिक पाठशाला ठौड़ निवाड को जारी करने के लिए माह 1/2014 में खेल सामग्री का क्रय मै०0 जालंधर

स्पोर्ट्स, लक्कड़ बाज़ार सोलन से बिल संख्या 1789 दिनांक 1/1/2014 के माध्यम से किया गया । पंचायत द्वारा किये गए क्रय में अन्य खेल सामग्री के साथ-साथ 6 बेडमिन्टन रैकेट भी क्रय किये गए थे, जिनका मूल्य 600/- प्रति रैकेट था , परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा 2 बेडमिन्टन रैकेट राजकीय माध्यमिक पाठशाला ठौड़ तथा 2 बेडमिन्टन रैकेट राजकीय प्राथमिक पाठशाला ठौड़ को जारी कि ए गए, जिसकी सम्बंधित स्कूल के मुख्याध्यापकों द्वारा रसीद भी ग्राम पंचायत को दी गई है , परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा 2 बेडमिन्टन रैकेटो को जारी ही नहीं किया गया है और न ही इन रैकेटस को पंचायत के स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया हैA। अतः शेष दो बेडमिन्टन रैकेट को स्कूलों को जारी न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा रु 1200/- की वसूली सम्बंधित ग्राम पंचायत पदाधिकारी से करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करके इसकी पुष्टि आगामी अंकेक्षण के समय करवाई जानी सुनिश्चित की जाये।

15 श्रीमती लक्ष्मी देवी, मोटिवेटर को किए गए रु 0.05 लाख के भुगतान से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत न करना

ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड द्वारा जलागम परियोजना के अंतर्गत श्रीमती लक्ष्मी देवी, मोटिवेटर को रु 1500/- प्रति माह की दर से (अवधि 1/14 से 3/14) के लिए रु4500/- का भुगतान रोकड़ बही के पृष्ट संख्या 26 पर किया गया दर्शाया गया है, परन्तु श्री मति लक्ष्मी देवी की नियुक्ति से सम्बंधित कोई भी अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय के उपलब्ध नहीं थे और न ही अंकेक्षण को प्रस्तुत किए गए, गया जिसकी अनुपस्तिथि में यह ज्ञात नहीं किया जा सका कि श्री मति लक्ष्मी देवी को कब तक तथा किस निर्धारित राशि पर नियुक्त किया गया हैA । अतः श्री मति लक्ष्मी देवी की नियुक्ति से सम्बंधित सम्पूर्ण अभिलेख आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेA।

16 बिना मूल्यांकन/ सत्यापन के मस्टरोल की रु 1.04 लाख का भुगतान करना

ग्राम पंचायत द्वारा माह 3/2015 में जोहडी के निर्माण हेतु मस्टरोल संख्या 089 के माध्यम से 696 कार्यदिवस हेतु रु150/-प्रति कार्य दिवस की दर से रु1,04,400/- का भुगतान किया गया है , परन्तु उक्त मस्टरोल में दर्शाए गए कार्य को न तो सम्बंधित कनिष्ट अभियंता और न ही किसी सक्षम अधिकारी से सत्यापित/मूल्यांकित करवाया गया है, जिसकी अनुपस्तिथि में उक्त किया गया भुगतान उचित प्रतीत नहीं होता हैA । अतः जोहड़ी निर्माण के मस्टरोल, कार्य व भुगतान की गई राशि रु1,04,400/-का मूल्यांकन सक्षम अधिकारी से करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के समय अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएA।

17 ठौड़ मंदिर के छत निर्माण के व्यय की गई रु 1.48 लाख से संबन्धित अनियमितताएँ

ग्राम पंचायत द्वारा ठौड़ मंदिर छत निर्माण पर रु147750/- का व्यय निम्न विवरणानुसार किया गया:-

क्र0 सं0	विक्रेता का नाम	बिल संख्या/दिनांक	क्रय किया गया सामान	मूल्य
1	मै0 शर्मा स्टील राजगढ़	151/6.11.13	एंगल,चैनल आदि	60,000
2	--यथोपरी--	153/5.11.13	छत की चदरें	60,000
3	--यथोपरी	154/12.01.14	फिटिंग लेबर	27,750
कुल राशि				1,47,750

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है की पंचायत द्वारा रु 60,000/-के एंगल, चैनल तथा रु60,000/- की छत की चादरों का क्रय मै0 शर्मा स्टील राजगढ़ से क्रय समिति के गठन व् टेंडर आमंत्रित किये बिना ही किया गया है , जबकि नियमानुसार उक्त क्रय समिति का गठन कर के तथा टेंडर आमंत्रित किया जाना अनिवार्य था , ताकि न्यूनतम प्रतियोगी मूल्यों पर क्रय किया जा सकता, जिस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जायेA इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किये बिना ही श्री विकास ठाकुर, उप प्रधान को जारी किया गया है तथा पंचायत द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरांत, उपयोग की गई सामग्री की उपभोग तालिका भी किसी तकनिकी कर्मचारी/अधिकारी से नहीं बनवाई गई है, जिसकी अनुपस्तिथि में वास्तविक रूप से छत के निर्माण में प्रयुक्त हुई सामग्री व शेष सामग्री की जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी, जिसे अब तैयार करके शेष सामग्री यदि कोई हो, की प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में की जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये। A

18 स्वयं के स्त्रोत से आय की वसूली में उदारता

ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड को गत तीन वर्षों में स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त आय के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा मात्र गृहकर से ही आय प्राप्त की गई हैA अंकेक्षण ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 12/07/2016 के प्रत्युत्तर में सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया है कि ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधन से ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली आय हेतु कोई भी दर निर्धारित नहीं की गई है, जबकि ग्राम पंचायत को जन्म पंजीकरण, मृत्यु पंजीकरण, विवाह पंजीकरण, विवाह

दान व परिवार नक़ल इत्यादि से भी अतिरिक्त आय प्राप्त हो सकती हैA । अतः ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की दरें निर्धारित न किये जाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा आय प्राप्ति की वसूली एवं मांग के अभिलेख हेतु आवश्यक मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर आगामी अंकेक्षण के समय सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेA।

19 गृहकर के रूप में रु 850 /- का वसूली हेतु शेष पाया जाना

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा ऑडिट ज्ञापन संख्या 6 दिनांक 12/07/2016 के प्रत्युत्तर में अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत क्षेत्र के अधीन पंजीकृत परिवारों व उनसे एकत्रित की गई व शेष वसूली योग्य गृहकर की राशि के बारे में निम्न सूचना प्रदान की गई। A

वर्ष	परिवारों की संख्या	गृहकर की दर	प्राप्त होने वाली वांछित राशि	वसूल की गई राशि	शेष वसूली
2013-14	240	50	12000	3450	8550
2014-15	245	50	12250	1100	11150
2015-16	255	50	12750	31600	-18850
			37000	36150	850

अतः उक्त विवर्णानुसार रु 850/- की वसूली शेष है , जिसकी वसूली कर के कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

20 गृहकर की राशि का अस्थाई दुर्विनियोजन

ग्राम पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त की जा रही आय को पूर्ण रूप से सम्बन्धित बैंक खाते में जमा न करके रोकड़ बही में दर्शाने के उपरान्त पंचायत के कार्यालय व्यय हेतु व्यय किया जा रहा है , जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 6 (3)के अनुसार पंचायत को प्राप्त होने वाली व पंचायत खाते से भुगतान की जाने वाली प्रत्येक राशि का सम्बंधित खाते में जमा करवाया जाना व सम्बंधित खाते से ही भुगतान किये जाने का प्रावधान हैA । इसके अतिरिक्त पंचायत द्वारा एकत्रित की गई राशि को उसी दिन या अगले दिन ही बैंक खाते में जमा कर दिया जाना चाहिए, परन्तु न तो पंचायत द्वारा स्वयं के स्त्रोत से प्राप्त की जा रही आय को नियमानुसार न तो समय समय पर बैंक खाते में जमा करवाया जा रहा है और न ही

रोकड़ बही में हस्तगत शेष के रूप में दर्शाया जा रहा है, जिससे की एकत्रित की गई राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता हैA । अतः एकत्रित की गई राशि को नियमानुसार समय समय पर सम्बंधित बैंक खातें में जमा कर के अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। A

21 ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों /कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान करना

ग्राम पंचायत के मानदेय सम्बन्धी रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वित्त नियम 2002 के नियम 64 के अनुसार ग्राम पंचायत के प्रधान, उप प्रधान, मेम्बर्स, चौकीदार, पशुचिकित्सक सहायक, सिलाई प्रशिक्षण अध्यापिका व पानी आपूर्ति सहायक इत्यादि को मासिक मानदेय का भुगतान ग्राम पंचायत निधि से किया गया है , परन्तु मानदेय की सरकार द्वारा अनुमोदित दरों से सम्बंधित कोई भी दस्तावेज/अभिलेख ग्राम पंचायत कार्यालय में अंकेक्षण के अवलोकनार्थ उपलब्ध नहीं था , जिस कारण मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि नहीं हो सकी हैA । अतः मानदेय भुगतान की सही दरों की पुष्टि हेतु हिमाचल सरकार द्वारा अनुमोदित दरों की प्रति पंचायत कार्यालय में प्राप्त करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जायेA।

22 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रखरखाव किया जाना अनिवार्य थाA अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपत्तिजनक हैA। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना सुनिश्चित किया जायेA।

I अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर A
ii रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी A
iii चैक जारी करने का रजिस्टर A
Iv चल अचल संपत्ति का रजिस्टर A
V आकस्मिक व्यय रजिस्टर A

Vi चैक प्राप्ति रजिस्टर A

Vii अग्रिमों का रजिस्टरA

Viii रसीद बुकों का रजिस्टर A

Ix प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टरA

23 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भंडार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया की पंचायत द्वारा भंडार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है , जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाये। A

24 रसीद बुकों के उपयोग बारे

रसीद बुकों के अवलोकन पर पाया गया की ग्राम पंचायत को जारी की गई किसी भी रसीद बुक पर पंचायत वित्त नियम 2002 के नियम 13(4) व 13(5) मे वांछित प्रमाण पत्र ज़िला पंचायत अधिकारी व सम्बन्धित सचिव द्वारा नहीं दिया गया है, जिसकी अनुपस्थिति मे रसीद बुकों के दुर्विनियोजन की पूर्ण संभावना है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत सचिव द्वारा न तो उपरोक्त रसीद बुकों और न ही पूर्व मे प्राप्त की गई रसीद बुकों की स्टॉक रजिस्टर मे प्रवि ष्टियां कि गई है , जोकि नियमानुसार किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अतः उपरोक्त वर्णित अनियमितताओं के निराकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही अम्ल मे लाते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव द्वारा एक साथ ही दो-दो रसीद बुकों को उपयोग में लाया गया है, जबकि नियमानुसार एक रसीद बुक के समाप्त होने के उपरांत ही दूसरी रसीद बुक को उपयोग में लाया जाना चाहिए। अतः भविष्य में एक समय में मात्र एक ही रसीद बुक उपयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जायेA।

25 अन्य विविध अनियमितताएँ

(क) ग्राम पंचायत निधि से किये जा रहे भुगतानों को मात्र ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा ही सत्यापित किया जा रहा है, जबकि पंचायती राज वित्त नियम,2002 के नियम 49 (1) के अनुसार कोई भी भुगतान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि ग्राम पंचायत के

प्रधान व सचिव द्वारा शब्दों एवं अंको दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्त हस्ताक्षरित न किया गया होA। अतः भविष्य में पंचायत निधि से किये जाने वाले सभी भुगतानों को प्रधान व सचिव द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित करने के उपरान्त ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। A

(ख) पंचायती राज वित्त नियम , 2002 के नियम 7 के अनुसार प्रत्येक बिल/वाउचर पर ग्राम सभा द्वारा उस सम्बंधित व्यय को पारित किये जाने की प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित किया जाना अनिवार्य है, जबकि ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये जा रहे किसी भी बिल/वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक को अंकित नहीं किया गया है, जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में उक्त नियम का पालन किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाएA।

26 लघु आपत्ति विवरणिका :- यह अलग से जारी नहीं कि गई हैA।

27 निष्कर्ष :- लेखों में सुधार की आवश्यकता हैA।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः–फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(10)5/2016–खण्ड–1–4942–4945 दिनाँकः 14.09.2016
शिमला–171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत

1 सचिव, ग्राम पंचायत ठौड़ निवाड़, विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी, सिरमौर, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड राजगढ, जिला सिरमौर, हि0प्र0।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.